(६)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

ीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

त्र अन्तर्गत धाराः- 53, 188 आर.टी.ए.

ण संख्याः- 287/2022

कलावती देवी पत्नी स्व. श्री जोतराम जाति जाट आयु 68 वर्ष निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ हाल ब्व दलीप बिरडा निवासी वार्ड नम्बर 07, बिरडा किरयाना स्टोर, पितर जी मन्दिर के पास, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:वादीया

बनाम्

1 प्रेम कुमार पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ

2 सुमनलता पुत्री श्री जोतराम पत्नी श्री अनिल सहारण जाति जाट निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ हाल चक 2 बीएलडब्लयू'बी' पोस्ट आफिस खोथवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

पस्थित :-

1. श्री खुशप्रीत सिंह - अधिवक्ता वादी
2. श्री राजेशदीप राय - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. श्री शमशेर सिंह - वकील प्रतिवादी सं. 2
4. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 23.02.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम चक 33 एसएसडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 12/7, खाता कलावती देवी आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076 - 2079 के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12/.253 हैक्टेयर कुल 4.807 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम 1/3 - 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी सांझा खाता में दर्ज चली आ रही है व वादीया मुताबिक वाद पत्र की मद संख्या 2 में अपने नाम दर्ज 1.602 हैक्टेयर आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ बतौर सह खातेदार काबिज चली आ रही है परन्तु वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी का कभी भी विधिवत बंटवारा नही हुआ है तथा वादीया अपने वैध हिस्से यानि कुल 4.807 हैक्टेयर आराजी में से 1.602 हैक्टेयर आराजी का राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना के तहत अच्छी मन्दी भूमि खाला रास्ता की सुविधा के अनुसार खाता विभाजन करवाने की अधिकारी है।

यह है कि वादीया वृद्ध एंव विधवा महिला है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीया का पुत्र है तथा या वृद्ध होने के कारण इस भूमि को अपने पुत्र के माध्यम से ही काश्त करवाती आई है। ादी संख्या 1 ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वादीया के प्रति अपने पुत्र दायित्वो को कर वादीया को मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा वह मजबूरन अपने रिहायशी मकान के चिपते नोहरा में निवास कर जीवन यापन कर रही थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अर्सा 03 माह उक्त नोहरे से भी वादीया को बेदखल कर इस नोहरा के भूखण्ड को अपने रिहायशी मकान से ला लिया है, इस विकट परिस्थितियों में वादीया मजबूरन अपने पीहर तथा कभी अन्य रिश्तेदारो निवास कर रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ने गत 03 माह से उक्त संयुक्त खाता की भूमि जो दीया की सहमति से व वादीया के वृद्ध होने के कारण पुत्र की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 श्तकार रहा था, की उपज का हिस्सा वादीया को देने से इन्कार कर दिया है तथा वादीया के रण पोषण के दायित्वो से भी इन्कार हो रहा है। वादीया बेसहारा वृद्ध होने के कारण प्रतिवादी ख्या 1 के उक्त क्रूरतापूर्ण आचरण से व्यथित व पीडित है तथा इन परिस्थितियों में उक्त संयुक्त ाता की भूमि में से अपना 1/3 हिस्सा का खाता विभाजन करवाकर पृथक से कब्जा प्राप्त करने ी अधिकारिणी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में वादीया का अविभाजित 1/3 हिस्सा होने े बावजूद वादीया के हकूक खातेदारी से इन्कार करने लगा है तथा इस कारण Title in Medio हो ुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ने यह भी धमकी दी है कि वह प्रश्नगत भूमि में से अच्छी एंव उपजाऊ किस्म की भूमि को बैय व मुन्तकिल कर वादीया को इस भूमि से वंचित कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 समस्त वादग्रस्त भूमि को हडपने की नियत से भूमि पर ग्रीद्ध दृष्टि बनाये हुये है तथा संयुक्त खाता की सम्पति की उपजाऊ क्षमता को नुकसान पहुचाने की फिराक में है तथा वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की अविभाजित भूमि है तथा वादीया कमजोरी श्रेणी में एक वृद्ध महिला है जिसे आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 भूमि को खुर्द बुर्द करने व भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट करने तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने पर वादीया को झूठे मुकदमें की फंसाने की धमकीयां देता रहता है, अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने उक्त अवैध मकसद में कामयाब हो गया तो वादीया के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 राजकीय सेवा में कार्यरत है। प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज सांझा खाता की आराजी को विशिश्ट भू-भाग को रहन, बैय आदि द्वारा अजनबी क्रेता को अन्तरित करके अजनबी क्रेता को विशिष्ट भू-भाग पर काबिज करवाने पर उतारू है, अगर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमेंबाजी बढेगी तथा कानूनन विभाजन से पूर्व अजनबी क्रेता किसी भी भू-भाग पर काबिज नही हो सकता। अजनबी क्रेता विशिष्ट भू-भाग पर अच्छी किस्म की आराजी पर काबिज होने की कोशिश करेगा जिससे मुकदमेंबाजी बढेगी इसलिए वादीया, प्रतिवादीगण के विरुद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1, वाद पत्र की मद संख्या 02 में अपने नाम दर्ज चक 33 एसएसडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 12/7, खाता कलावती देवी आदि, जमाबन्दी सम्वत 2076 - 2079 के पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/1/.228, 6/2/.025, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, पत्थर नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12/.253 हैक्टेयर कुल 4.807 हैक्टेयर आराजी को अन्यत्र रहन, बैय, गिफट आदि द्वारा अन्तरित करने से निषेद्व रहे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीया के मूल अधिकार से इन्कार करते हुए इस भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दी है, इन परिस्थितियों में वादीया इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक अनुतोष वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2022 को जारी ई, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के अपील सख्या 56/2023 प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 19.12.2023 को प्रकरण न्यायालय नः उभय पक्ष की सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया तथा ीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश की पालना में पक्षकारान न्यायालय के उपस्थित आये। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तनकीयात कायम करवाने उपरान्त साक्ष्य वादी व प्रतिवादीगण करवाये गये, प्रतिवादी सं. 1 की से अधिवक्ता राजेशदीप राय उपस्थित व प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता शमशेर सिंह स्थित जिसके पश्चात वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1, 2 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद क शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी मनन किया गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। यपक्ष ने वाद पत्र मुताबिक राजीनामा के डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद मुताबिक ीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-ःक्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादीया मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:-

स्सा वादीया कलावती देवी - चक 33 एसएसडब्लयू, खाता सख्या 12/7 नम्बर 91/305 (17) कला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12/.253 हैक्टेयर कुल 1.518 हैक्टेयर आराजी,

तिवादी सख्या 1 प्रेम कुमार - चक 33 एसएसडबलयू, खाता सख्या 12/7 पत्थर नम्बर 0/305 (18) किला नम्बर 6/2/.025, 6/3/.025, 6/4/.203, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 20/.253 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर आराजी।

प्रतिवादीया सख्या 2 सुमनलता - चक 33 एसएसडब्लयू खाता सख्या 12/7 पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 19, 21, 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.518 हैक्टेयर आराजी का खाता अलग कायम कर रकमराज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगीलाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

(11)

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

…न अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

… संख्या:- 287/2022

कलावती देवी पत्नी स्व. श्री जोतराम जाति जाट आयु 68 वर्ष निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ हाल बद्य दलीप बिरडा निवासी वार्ड नम्बर 07, बिरडा किरयाना स्टोर, पितर जी मन्दिर के पास, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:वादीया

बनाम्

1 प्रेम कुमार पुत्र श्री जोतराम जाति जाट निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ

2 सुमनलता पुत्री श्री जोतराम पत्नी श्री अनिल सहारण जाति जाट निवासी करणीसर, तहसील व जिला हनुमानगढ हाल चक 2 बीएलडब्लयू'बी' पोस्ट आफिस खोथवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू …मारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री राजेशदीप राय वकील प्रतिवादी सं. 1 … श्री शमशेर सिंह वकील प्रतिवादी सं. 2 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया …ाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है कि:- **हिस्सा वादीया कलावती देवी** - चक 33 …सएसडब्लयू, खाता सख्या 12/7 नम्बर 91/305 (17) किला नम्बर 3/1/.228, 3/2/.025, 8 ता 12/.253 हैक्टेयर कुल 1.518 हैक्टेयर आराजी। **प्रतिवादी सख्या 1 प्रेम कुमार** - चक 33 एसएसडब्लयू, खाता सख्या 12/7 पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 6/2/.025, 6/3/.025, 6/4/.203, 11 ता 14/.253 हैक्टेयर प्रत्येक, 15/1/.228, 15/2/.025, 20/.253 हैक्टेयर कुल 1.771 हैक्टेयर आराजी। **प्रतिवादीया सख्या 2 सुमनलता** - चक 33 एसएसडब्लयू खाता सख्या 12/7 पत्थर नम्बर 90/305 (18) किला नम्बर 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 19, 21, 22/.253 हैक्टेयर प्रत्येक कुल 1.518 हैक्टेयर आराजी का खाता अलग कायम कर रकमराज अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.02.2026 .... को जारी किया गया।

नोट:- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS

सहायक कलेक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ